भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4980

(23 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

□ी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सं□र्क

4980. श्री भर्तृहरि महताबः

श्री राहुल रमेश शेवलेः

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संपूर्ण देश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत संपर्क के लिए नई बसावटों का आज की तिथि के अनुसार राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला देखा गया है/पता चला है जहां राज्य सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु भूमि प्रदान करने में सहयोग नहीं दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्य-वार कारण क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा देश में उक्त योजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या तंत्र विकसित किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत दिनांक 18.07.2019 तक सड़को से जोड़े जाने के लिए शेष बसावटों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) से (ग): पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार/जिला पंचायत का दायित्व है कि प्रस्तावित सड़क कार्यों को शुरू करने के लिए भूमि उपलब्ध हो। पीएमजीएसवाई भूमि अर्जन के लिए निधियां प्रदान नहीं करती है। भूमि की उपलब्धता का सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारें स्वैच्छिक दान, विनिमय या अन्य व्यवस्था के लिए दिशा-निर्देश बना सकती हैं।

(घ) से (□.): पीएमजीएसवाई में केन्द्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की भूमिका को परिभाषित करने वाले सुनियोजित कार्यक्रम दिशा-निर्देश दिए गए हैं। राज्य और केन्द्र सरकार कार्यक्रम के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए साथ मिलकर कार्य कर रही हैं। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा राज्यों के साथ क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम), निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) की बैठकों, राज्यों के साथ पूर्वाधिकार प्राप्त/अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों के माध्यम से नियमित नियमित रूप से की जाती है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव के द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों के साथ विशेष समीक्षा बैठकें भी की जाती हैं।

***

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 23.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 4980 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 18.07.2019 तक सड़कों से जोड़ी न गई बसावटों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	बसावटों की संख्या जिन्हें अभी सड़कों से जोड़ा जाना है।
1	अं□मान और निकोबार द्वीप समूह	7
2	आंध्र प्रदेश	59
3	अरुणाचल प्रदेश	149
4	असम	2,687
5	बिहार	1,554
6	छत्तीसगढ़	400
7	गोवा	14
8	गुजरात	4
9	हरियाणा	0
10	हिमाचल प्रदेश	327
11	जम्मू और कश्मीर	441
12	झारखं□	47
13	कर्नाटक	0
14	केरल	2
15	मध्य प्रदेश	228
16	महाराष्ट्र	37
17	मणिपुर	95
18	मेघालय	254
19	मिजोरम	77
20	नागालैं□	14
21	ओ□िशा	491
22	पंजाब	0
23	राजस्थान	61
24	सिक्किम	27
25	तमिलना□ु	3
26	त्रिपुरा	111
27	उत्तर प्रदेश	2
28	उत्तराखं□	504
29	पश्चिम बंगाल	297
30	तेलंगाना	5
कुल		7,897*

* राज्यों ने सूचित किया है कि 7897 बसावटों में से अभी तक 2,495 बसावटों को वन अनापत्ति, भूमि संबंधी मुद्दों और न्यायालय संबंधी मामलों के कारण व्यवहार्य नहीं पाया गया है।